735
9-6-16

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 912/159/2015/42–2ए/ / भोपाल ,दिनांक 08/06/2016

प्रति,

संचालक
कौशल विकास मध्यप्रदेश
जबलपुर,

विषयः– MPCVET(SCVT) के अतंर्गत निजी आईटीआई प्रांरभ करने हेतु नवीन निर्देश ।

संदर्भः– क्रमांक 852/159/2013/42–2ए भोपाल ,दिनांक 13/05/2014

समस्त शासकीय एवं निजी आईटीआई के ट्रेडस की एनसीवीटी से संबद्धता प्राप्त करने के लिए महानिदेशक,रोजगार एवं प्रशिक्षण के पत्र दिनांक 6 अगस्त,2012 के द्वारा क्वालिटी काउंसिल आफ इंडिया (क्यूसीआई)के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को अंगीकार करने के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (पूर्व में एससीवीटी) के तहत निजी आईटीआई प्रारंभ करने के लिए राज्य शासन के ज्ञाप दिनांक 13/05/2014 के द्वारा जारी निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

(1) रू 5000/– की राशि संचालक,कौशल विकास द्वारा आवेदन पत्र के साथ ली जाएगी। आवेदन पत्र (Annexure -III) संचालक , कौशल विकास की बेबसाइट www.mpdt.nic.in पर उपलब्ध हैं । आवेदक द्वारा इस राशि का भुगतान नेटबैंकिंग, डेबिड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, पेमेन्ट गेटवे तथा एमपीऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से किया जा सकता हैं ।

(2) निजी आईटीआई की स्थापना के लिए संबंधित एजेंसी को एनसीवीटी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार व्यवस्थाऐ स्थापित कर प्रथमतः एनसीवीटी से संबद्धता प्राप्त करने के लिए क्वालिटी काउंसिल आफ इंडिया (क्यूसीआई) की वेबसाइट पर आवेदन अपलोड करना होगा ।

(3) एमपीसीवेट (एससीव्हीटी) के अतंर्गत सम्बद्वता(Affiliation) प्राप्त करने हेतु संबधित संस्था को एमपीऑन लाइन पोर्टल पर निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन अपलोड करना होगा ।

4) संचालनालय स्तर से दस्तावेजो का परीक्षण किया जायेगा । यदि आवेदन में एनसीव्हीटी द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार दस्तावेजो की कमिया पायी जाती है तो उस संस्था को कमियों की पूर्ति के लिये निर्धारित समय देते हुये सूचित किया जाएगा। यदि संस्था द्वारा कमियों की पूर्ति कर पुनः आवेदन अपलोड किया जाता है और उसमें कमियॉ पायी जाती है तो आवेदन पोर्टल पर हीं निरस्त कर दिया जाएगा । निर्धारित मापदण्डो के अनुसार दस्तावेज सही पाये जाने पर संस्था का निरीक्षण कराया जावेगा ।

(5) निरीक्षण के उपरांत यदि संस्था में समस्त सुविधाऐं एनसीव्हीटी के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पायी जाती है तथा तदानुसार निरीक्षण समिति द्वारा प्रकरण की अनुशंसा की जाती है तो संचालक कौशल विकास /मुख्य कार्यपालन अधिकारी एमपीसीवेट द्वारा एससीवीटी के अंतर्गत एक सत्र के लिए अधिकतम प्रवेश की अनुमति जारी कर सकेंगे । किसी भी स्थिति में एक सत्र की स्वीकृति के पश्चात दूसरे सत्र के लिये प्रवेश की स्वीकृति जारी नही की जावेगी अर्थात् संस्था को एक सत्र की अवधि में एनसीवीटी से संबद्धीकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

कौशल विकास संचालनालय
म.प्र. जबलपुर
दिनांक 9/6/2016
अनुभाग: एफिलेशन
अधीक्षक संचालक
9/6/16

(6) यदि विभागीय समिति के निरीक्षण में भी कमिया पायी जाती है तो पुनः आवेदन करना आवश्यक होगा तथा उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार पुनः राशि रू. 5000/– का शुल्क दोबारा देय होगा।

(7) निजी आईटीआई से आवेदन प्राप्त करनें की अंतिम तिथि **30 जून** होगी ।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

क्रमांक ..../159/2015/42–2ए/ / भोपाल , दिनांक

प्रतिलिपि–

निज सचिव, माननीय मंत्री , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, भोपाल को सूचनार्थ। कृपया माननीय मंत्री जी को अवगत कराने का कष्ट करें ।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग